

शुद्ध -

प्रावली वेवा हुई। प्राचीणिण व वकील प्राची  
अपस्थित नही। इनके अनुपस्थित रहने के कारण  
प्राचीना-पत्र से संबंधित सब दावा अदम्य पैरवी  
अदम्य हाजी में खारिज हो चुका है। जिससे यह  
प्राचीना-पत्र भी अब आगे चलने योग्य नहीं है।

अतः यह प्राचीना-पत्र भी इसी स्तर  
पर खारिज किया जाता है। प्रावली निर्णय में  
शुद्ध की जावे तथा तुरीया तकसिल की जावे  
दरिबल दफ्तर की जावे।

उपस्थित नही  
तारनागर (पुल)